रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 8, 2001/अग्रहायण 17, 1923
No. 328] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 8, 2001/AGRAHAYANA 17, 1923

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2001

फा. सं. 9-1/2001/एनसीटीई (प्रशासन).— राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, 1993 (1993 का 73वां) की धारा 14 और 15 के साथ पठित धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (च) और (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र में 11 अगस्त, 2001 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अनापत्ति प्रमाणपत्र पर विचार) (संशोधन) विनियम, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् निम्नलिखित अधिसूचनाओं को संशोधित /और आगे संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अनापत्ति प्रमाण पर विचार) (संशोधन) विनियम, 2001 बनाती है:-

(i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थानों की मान्यता के लिए आवेदन, आवेदन की पद्धति, मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 1995

(ii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पत्राचार शिक्षा अथवा मुक्त दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अथवा आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से शिक्षा स्नातक की उपाधि (बी.एड. डिग्री) या उसके समकक्ष किसी पाठ्यक्रम को चलाने वाले अथवा चलाने के इच्छुक संस्थानों की मान्यता की शर्तों का निर्धारण अथवा किसी नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 1996

(iii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् {आमने सामने की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से स्नातकोत्तर (एम.एड) तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से स्नातकोत्तर (एम.एड.) के लिए मानक और शर्तें} विनियम 1998

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

(iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (शारीरिक शिक्षा में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम सी.पी.एड., बी.पी.एड. तथा एम.पी.एड. की मान्यता के लिए मानक और शर्तें) विनियम, 1998

(v) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (प्रारंभिक शिक्षा स्नातक बी.एल.एड. की मान्यता के लिए मानक और शर्तें) विनियम, 1998

संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन

ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अनापत्ति प्रमाण पत्र पर विचार) (संशोधन) विनियम, 2001 कहलाएंगे।

उपर्युक्त विनियमों में प्रत्येक के सामने दर्शायी गई सीमा तक निम्न जोड़ा जाता है: .

क्र. सं.	राजपत्र की अधिसूचना संख्या और तारीख, आदेश संख्या और तारीख	विनियम	मौजूदा प्रावधान	जोड़ा गया पाठ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8, 24.2.96/28-11/95 एनसीटीई दिनांक 29.12.95	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन, आवेदन की पद्धति, मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 1995 ।	पैरा 5 (ड.) तथा (च) (ड.) अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने की इच्छा रखने वाली ऐसी प्रत्येक संस्था को जो 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले नहीं चल रही थी उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु आवेदन करना होगा । (च) उपर्युक्त विनियम 4 के अन्तर्गत	पैरा 5 (च) के बाद निम्न जोड़ा जाए: (छ) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के जारी किए जाने के संबंध में राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र के समर्थन पर क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता के लिए आवेदन पत्र पर निर्णय लेते समय विचार किया जाएगा। (ज) यदि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किए गए अनापत्ति

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

413

			मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को शुरू करने और/अथवा दाखिले में वृद्धि करने के लिए आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।	प्रमाण पत्र में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या की बाबत कोई संकेत नहीं दिया जाता तो इस आशय की संख्या संस्थान में उपलब्ध आधारिक और अनुदेशात्मक सुविधाओं तथा संगत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में लागू अन्य संगत मानदंडों और मानकों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय समिति द्वारा तय की जाएगी।
				(झ) राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र उस समय तक वैध रहेगा जब तक कि राज्य

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

				सरकार/ संघशासित क्षेत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस नहीं ले लेता/रद्द नहीं कर देता। (ञ) यदि संस्थान अनापत्ति प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तारीख के तीन वर्ष के भीतर मान्यता प्राप्त नहीं कर पाता तो अनापत्ति प्रमाण पत्र व्यपगत समझा जाएगा। (ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सरकारी संस्थानों के मामले में लागू नहीं होगी। (ठ) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त अधिक से अधिक 50 (केवल पचास) छात्रों के दाखिले सहित कोई नवाचारी अध्यापक शिक्षा

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

				कार्यक्रम शुरू करने वाले विश्वविद्यालय विभागों के मामले में भी लागू नहीं होगी। कोई कार्यक्रम नवाचारी है या नहीं-- इस प्रश्न की बाबत संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
2.	14, 5.4.97, 28-9/96 एनसीटीई दिनांक 6.2.1997	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [पत्राचार शिक्षा अथवा मुक्त दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम द्वारा अथवा आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से शिक्षा स्नातक की उपाधि (बी.एड. डिग्री) या उसके समकक्ष के लिए किसी पाठ्यक्रम को चलाने वाले अथवा चलाने के इच्छुक संस्थानों की मान्यता की शर्तों	पैरा 6 (ड.) तथा (च) (ड.) अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने की इच्छा रखने वाली ऐसी प्रत्येक संस्था को जो 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले नहीं चल रही थी उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु आवेदन करना	पैरा 6 (च) के बाद निम्न जोड़ा जाए: (छ) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के जारी किए जाने के संबंध में राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र के समर्थन पर क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय विचार किया जाएगा। (ज) यदि राज्य सरकार/

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

IndiaCode

		का निर्धारण तथा किसी नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण को प्रारम्भ करने की अनुमति] विनियम, 1996 ।	होगा । (च) उपर्युक्त विनियम 5 के उपविनियम (ख) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा दाखिले में वृद्धि करने के लिए अनुमति दिए जाने संबंधी आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।	संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या की बाबत कोई संकेत नहीं दिया जाता तो इस आशय की संख्या संस्थान में उपलब्ध आधारिक और अनुदेशात्मक सुविधाओं तथा संगत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में लागू अन्य संगत मानदंडों और मानकों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय समिति द्वारा तय की जाएगी। (झ) राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र उस

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

417

IndiaCode

				समय तक वैध रहेगा जब तक कि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस नहीं ले लेता/रद्द नहीं कर देता। (ञ) यदि संस्थान अनापत्ति प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तारीख के तीन वर्ष के भीतर मान्यता नहीं प्राप्त कर पाता तो अनापत्ति प्रमाण व्यपगत समझा जाएगा। (ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सरकारी संस्थाओं के मामले में लागू नहीं होगी (ठ) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त अधिक से अधिक 50 (केवल पचास) छात्रों के

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

418

IndiaCode

				दाखिले सहित कोई नवाचारी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने वाले विश्वविद्यालय विभागों के मामले में भी लागू नहीं होगी। कोई कार्यक्रम नवाचारी है या नहीं-- इस प्रश्न की बाबत संबंधित क्षेत्रीय द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
3.	7, 13.2.99/28-2/98/ एनसीटीई दिनांक 29.12.98	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [आमने-सामने की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.एड.) तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.एड.) के लिए मानक और शर्तें] विनियम, 1998 ।	पैरा 6(ड.) तथा (च) (ड.) अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने की इच्छा रखने वाली ऐसी प्रत्येक संस्था को जो 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले नहीं चल रही थी उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो, अनापत्ति	पैरा 6(च) के बाद निम्न जोड़ा जाए: (छ) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के जारी किए जाने के संबंध में राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र के समर्थन पर क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता के लिए आवेदन पत्र पर निर्णय लेते समय विचार किया

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

			प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु आवेदन करना होगा । (च) उपर्युक्त विनियम 5 के उपविनियम (ख) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा दाखिले में वृद्धि करने के लिए अनुमति दिए जाने संबंधी आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।	जाएगा। (ज) यदि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या की बाबत कोई संकेत नहीं दिया जाता तो इस आशय की संख्या संस्थान में उपलब्ध आधारिक और अनुदेशात्मक सुविधाओं तथा संगत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में लागू अन्य संगत मानदंडों और मानकों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय समिति द्वारा तय की जाएगी। (झ) राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र

3767 GI/2001—2

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

420

				द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस नहीं ले लेता/रद्द नहीं कर देता। (ञ) यदि संस्थान अनापत्ति प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तारीख के तीन वर्ष के भीतर मान्यता नहीं प्राप्त कर पाता तो अनापत्ति प्रमाण पत्र व्यपगत समझा जाएगा। (ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सरकारी संस्थानों के मामले में लागू नहीं होगी। (ठ) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त अधिक से अधिक 50

Attested

सहायक नियंत्रक **(प्रशासन)**
भारत सरकार, प्रकाशन **विभाग**
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

IndiaCode

				(केवल पचास) छात्रों के दाखिले सहित कोई नवाचारी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने वाले विश्वविद्यालय विभागों के मामले में भी लागू नहीं होगी। कोई कार्यक्रम नवाचारी है या नहीं--इस प्रश्न की बाबत संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
4.	12, 20.3.99, 28-3/98-99/एनसीटीई दिनांक 29.12.98	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र (सी.पी.एड.) शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) तथा शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.पी.एड.) की मान्यता के लिए मानक और शर्तें] विनियम, 1998	पैरा 6(ड.) तथा (च) (ड.) अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने की इच्छा रखने वाली ऐसी प्रत्येक संस्था को जो 17 अगस्त, 1995 के ठीक पहले नहीं चल रही थी उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां	पैरा 6(च) के बाद निम्न जोड़ा जाएः (छ) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के जारी किए जाने के संबंध में राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र के समर्थन पर क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता के लिए आवेदन

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-01

422

IndiaCode

			संस्था अवस्थित हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु आवेदन करना होगा । (च) उपर्युक्त विनियम 5 के उपविनियम (ख) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा दाखिले में वृद्धि करने के लिए अनुमति दिए जाने संबंधी आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।	पत्र पर निर्णय लेते समय विचार किया जाएगा। (ज) यदि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या की बाबत कोई संकेत नहीं दिया जाता तो इस आशय की संख्या संस्थान में उपलब्ध आधारिक और अनुदेशात्मक सुविधाओं तथा संगत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में लागू अन्य संगत मानदंडों और मानकों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय समिति द्वारा तय की जाएगी।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

Indiacode

				(झ) राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस नहीं ले लेता/रद्द नहीं कर देता। (ञ) यदि संस्थान अनापत्ति प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तारीख के तीन वर्ष के भीतर मान्यता नहीं प्राप्त कर पाता तो अनापत्ति प्रमाण पत्र व्यपगत समझा जाएगा। (ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त सरकारी संस्थानों के मामले में लागू नहीं होगी।

IndiaCode

Attested
25/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

424

				(ठ) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त अधिक से अधिक 50 (केवल पचास) छात्रों के दाखिले सहित कोई नवाचारी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने वाले विश्वविद्यालय विभागों के मामले में भी लागू नहीं होगी। कोई कार्यक्रम नवाचारी है या नहीं--इस प्रश्न की बाबत संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
5.	12, 20.3.99, 28-4/98-99/एनसीटीई दिनांक 29.12.98	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक-बी.एल.एड. की मान्यता के लिए मानक और शर्तें) विनियम, 1998	पैरा 6(ड.) तथा (च) (ड.) अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने की इच्छा रखने वाली ऐसी प्रत्येक संस्था को जो 17	पैरा 6(च) के बाद निम्न जोड़ा जाएः (छ) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के जारी किए जाने के संबंध में राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

425

IndiaCode

			अगस्त, 1995 के ठीक पहले नहीं चल रही थी उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित मान्यता हेतु आवेदन करना होगा । (च) उपर्युक्त विनियम 5 के उपविनियम (ख) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा दाखिले में वृद्धि करने के लिए अनुमति दिए जाने संबंधी आवेदन सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति के पास किया जाएगा और साथ में उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से जहां संस्था अवस्थित हो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।	के समर्थन पर क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता के लिए आवेदन पत्र पर निर्णय लेते समय विचार किया जाएगा। (ज) यदि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या की बाबत कोई संकेत नहीं दिया जाता तो इस आशय की संख्या संस्थान में उपलब्ध आधारिक और अनुदेशात्मक सुविधाओं तथा संगत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में लागू अन्य संगत मानदंडों और मानकों को

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

426

IndiaCode

				ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय समिति द्वारा तय की जाएगी। (झ) राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस नहीं ले लेता/रद्द नहीं कर देता। (ञ) यदि संस्थान अनापत्ति प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तारीख के तीन वर्ष के भीतर मान्यता नहीं प्राप्त कर पाता तो अनापत्ति प्रमाण पत्र व्यपगत समझा जाएगा। (ट) अनापत्ति प्रमाण पत्र की

IndiaCode

Attested

25/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेंट्रल जाइन्स, दिल्ली–54

427

				शर्त सरकारी संस्थानों के मामले में लागू नहीं होगी। (ठ) अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त अधिक से अधिक 50 (केवल पचास) छात्रों के दाखिले सहित कोई नवाचारी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने वाले विश्वविद्यालय विभागों के मामले में भी लागू नहीं होगी। कोई कार्यक्रम नवाचारी है या नहीं--इस प्रश्न की बाबत संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

एस. के. राय, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/IV/131/2001/असा.]

3767 GI/2001—3

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

428

IndiaCode

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2001

No. F. 9-1/2001/NCTE (Admn.).— In exercise of the powers conferred under clause (f) and (g) of sub-section (2) of the Section 32 read with Sections 14 and 15 of the NCTE Act, 1993 (No. 73, 1993), and in supersession of the National Council for Teacher Education (consideration of No Objection Certificate) (Amendment) Regulations, 2001 notified in the Gazette of India on the 11th August, 2001, NCTE hereby makes the National Council for Teacher Education (consideration of No Objection Certificate) (Amendment) Regulations, 2001 to amend / further amend the notifications mentioned below :-

(i) The National Council for Teacher Education (application for recognition, manner for submission, the determination of condition for recognition of institutions and permission to start new course or training) Regulations, 1995.

(ii) The National Council for Teacher Education (determination of conditions for recognition of institutions offering or intending to offer through correspondence education or distance education including open distance education or any mode other than face to face instruction for any course leading to B.Ed degree or its equivalent and permission to start any new course or training) Regulations 1996.

(iii) The National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of M.Ed face to face and M.Ed through distance education) Regulations, 1998.

(iv) The National Council for Teacher Education (norms and conditions for grant of recognition of teacher education programme in Physical Education – C.P.Ed, B.P.Ed and M.P.Ed) Regulations, 1998.

(v) The National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of Bachelor of Elementary Education – B.El.Ed) Regulations, 1998.

Short Title and Commencement

These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (consideration of No Objection Certificate) (Amendment) Regulations, 2001.

The following additions are made in the above mentioned Regulations to the extent indicated against each of them :-

Attested

25/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

429

Sl. No	Gazette Notification No. & Date, Order No. & Date	Regulations	Existing Provision	Addition made
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8, 24.2.96 / 28-11/95 NCTE dated 29.12.95	The National Council for Teacher Education (application for recognition, manner for submission, the determination of condition for recognition of institutions and permission to start new course or training) Regulations, 1995.	Para 5 (e) & (f) (e) Every institution intending to offer a course or training in teacher education but was not functioning immediately before 17th August, 1995, shall submit application for recognition with a no objection certificate from the State or Union Territory in which the institution is located. (f) Application for permission to start new course or training and / or to increase intake by recognised institutions under Regulation 4 above shall be submitted to the Regional Committee concerned with no objection certificate from the State or union Territory in which the institution is located.	After para 5 (f) the following shall be added : (g) The endorsement of the State Government / UT Administration in regard to issue of No Objection Certificate (NOC) will be considered by the Regional Committee while taking a decision on the application for recognition. (h) If the NOC issued by the State Government / UT Administration does not indicate the intake, it will be for the Regional Committee to determine the intake taking into account the infrastructural and instructional facilities available in the institution and other relevant provisions in the Norms and Standards applicable to the relevant teacher training programme. (i) The NOC issued by the State

Attested
25/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

430

				Government / UT Administration will remain valid till such time the State Government / UT Administration withdraws / cancels it. (j) The NOC will be deemed to have lapsed if the institution fails to get recognition within three years from the date of its issue. (k) Requirement of NOC shall not apply to Government Institutions. (l) Requirement of NOC shall not apply to University Departments for taking up innovative teacher education programmes for a maximum intake of 50 (fifty only). The question as to whether a programme is innovative will be decided by the concerned Regional Committee.
2.	14, 5.4.97, 28-9/96 NCTE dated 6.2.1997	The National Council for Teacher Education (determination of conditions for recognition of institutions offering	Para 6 (e) and (f) (e) Every institution intending to offer a course or training in teacher	After para 6 (f) the following shall be added : (g) The endorsement of the State Government /

IndiaCode

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

		or intending to offer through correspondence education or distance education including open distance education or any mode other than face to face instruction for any course leading to B.Ed degree or its equivalent and permission to start any new course or training) Regulations 1996.	education but was not functioning immediately before 17th August, 1995, shall submit application for recognition with a no objection certificate' from the respective State Government or Union Territory administration in which the institution is located. (f) Application for permission to increase in intake by recognised institutions under Sub Regulation (b) of Regulation 5 above shall be submitted to the Regional Committee concerned with no objection certificate' from the State or union Territory in which the institution is located.	UT Administration in regard to issue of No Objection Certificate (NOC) will be considered by the Regional Committee while taking a decision on the application for recognition. (h) If the NOC issued by the State Government / UT Administration does not indicate the intake, it will be for the Regional Committee to determine the intake taking into account the infrastructural and instructional facilities available in the institution and other relevant provisions in the Norms and Standards applicable to the relevant teacher training programme. (i) The NOC issued by the State Government / UT Administration will remain valid till such time the State Government / UT Administration withdraws / cancels it. (j) The NOC will be deemed to have lapsed if the

IndiaCode

Attested
29/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

432

				institution fails to get recognition within three years from the date of its issue. (k) Requirement of NOC shall not apply to Government Institutions. (l) Requirement of NOC shall not apply to University Departments for taking up innovative teacher education programmes for a maximum intake of 50 (fifty only). The question as to whether a programme is innovative will be decided by the concerned Regional Committee.
3.	7.13.2.99 2/98/NCTE dated 28-29.12.98	The National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of M.Ed face to face and M.Ed through distance education) Regulations, 1998	Para 6 (e) and (f) (e) Every institution intending to offer a course or training in teacher education but was not functioning immediately before 17th August, 1995, shall submit application for recognition with a No Objection Certificate from the respective State Government or Union Territory	After para 6 (f) the following shall be added : (g) The endorsement of the State Government / UT Administration in regard to issue of No Objection Certificate (NOC) will be considered by the Regional Committee while taking a decision on the application for recognition. (h) If the NOC

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

433

IndiaCode

			administration in which the institution is located. (f) Application for permission to increase intake by recognised institutions under Sub Regulation (b) of Regulation 5 above shall be submitted to the Regional Committee concerned with 'No Objection Certificate' from the State or union Territory in which the institution is located.	issued by the State Government / UT Administration does not indicate the intake, it will be for the Regional Committee to determine the intake taking into account the infrastructural and instructional facilities available in the institution and other relevant provisions in the Norms and Standards applicable to the relevant teacher training programme. (i) The NOC issued by the State Government / UT Administration will remain valid till such time the State Government / UT Administration withdraws / cancels it. (j) The NOC will be deemed to have lapsed if the institution fails to get recognition within three years from the date of its issue. (k) Requirement of NOC shall not apply to Government Institutions.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

434

				(l) Requirement of NOC shall not apply to University Departments for taking up innovative teacher education programmes for a maximum intake of 50 (fifty only). The question as to whether a programme is innovative will be decided by the concerned Regional Committee.
4.	12, 20.3.99, 28-3/98-99/NCTE dated 29.12.98	The National Council for Teacher Education (*norms* and conditions for grant of recognition of teacher education programme in Physical Education – C.P.Ed, B.P.Ed and M.P.Ed) Regulations, 1998	Para 6 (e) and (f) (e) Every institution intending to offer a course or training in teacher education but was not functioning immediately before 17th August, 1995, shall submit application for recognition with a 'No Objection Certificate' from the respective State Government or Union Territory administration in which the institution is located. (f) Application for permission to increase in intake by recognised institutions under Sub Regulation (b) of Regulation 5	After para 6 (f) the following shall be added : (g) The endorsement of the State Government / UT Administration in regard to issue of No Objection Certificate (NOC) will be considered by the Regional Committee while taking a decision on the application for recognition. (h) If the NOC issued by the State Government / UT Administration does not indicate the intake, it will be for the Regional Committee to determine the intake taking into account the infrastructural and instructional

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

435

			above shall be submitted to the Regional Committee concerned with 'No Objection Certificate' from the State or union Territory in which the institution is located.	facilities available in the institution and other relevant provisions in the Norms and Standards applicable to the relevant teacher training programme. (i) The NOC issued by the State Government / UT Administration will remain valid till such time the State Government / UT Administration withdraws / cancels it. (j) The NOC will be deemed to have lapsed if the institution fails to get recognition within three years from the date of its issue. (k) Requirement of NOC shall not apply to Government Institutions. (l) Requirement of NOC shall not apply to University Departments for taking up innovative teacher education programmes for a maximum intake of 50 (fifty only). The question as to whether a

IndiaCode

3767 GI/2001—4

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

436

				programme is innovative will be decided by the concerned Regional Committee.
5	12. 20.3.99. 28-4/98-99/NCTE / dated 29.12.98	The National Council for Teacher Education (norms and conditions for recognition of Bachelor of Elementary Education – B El.Ed) Regulations, 1998	Para 6 (e) and (f) (e) Every institution intending to offer a course or training in teacher education but was not functioning immediately before 17th August, 1995, shall submit application for recognition with a 'No Objection Certificate' from the respective State Government or Union Territory administration in which the institution is located. (f) Application for permission to increase in intake by recognised institutions under Sub Regulation (b) of Regulation 5 above shall be submitted to the Regional Committee concerned with 'No Objection Certificate' from the State or union Territory in which the institution is located.	After para 6 (f) the following shall be added : (g) The endorsement of the State Government / UT Administration in regard to issue of No Objection Certificate (NOC) will be considered by the Regional Committee while taking a decision on the application for recognition. (h) If the NOC issued by the State Government / UT Administration does not indicate the intake, it will be for the Regional Committee to determine the intake taking into account the infrastructural and instructional facilities available in the institution and other relevant provisions in the Norms and Standards applicable to the relevant teacher training programme.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

437

				(i) The NOC issued by the State Government / UT Administration will remain valid till such time the State Government / UT Administration withdraws / cancels it. (j) The NOC will be deemed to have lapsed if the institution fails to get recognition within three years from the date of its issue. (k) Requirement of NOC shall not apply to Government Institutions. (l) Requirement of NOC shall not apply to University Departments for taking up innovative teacher education programmes for a maximum intake of 50 (fifty only). The question as to whether a programme is innovative will be decided by the concerned Regional Committee.

These amendments shall come into force with immediate effect.

S. K. RAY, Member Secy.

[ADVT III/IV/131/2001/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

438

IndiaCode